ायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

दमा नम्बर 23/2026 राजस्व वाद

सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा ज0)

––प्रार्थी

बनाम

गणपत लाल पुत्र श्री पीरचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

रतन देवी पुत्री श्री पीरचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––डिलिट

बाबू लाल पुत्र श्री पीरचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

विमला देवी पुत्री श्री पीरचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजमल पुत्र श्री पीरचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट

स्थित :–

श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता वादी

स्वयं उपस्थित ––प्रतिवादी संख्या 01 से 5

रोकार सरकार ––प्रतिवादी संख्या 06

दिनांक– 05.05.2026

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद सूलिया ार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के ा संख्या 101 मे आराजी नम्बर 1318 रकबा 1.0749 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.4806 टयर कुल किता 02 रकबा 1.5555 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादी का बोलता नाम छीतरमल है, बल्कि के सभी सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक , पैन कार्ड व अन्य सभी जगह श जैन पुत्र श्री पीरचन्द अंकित है। पीरचन्द जी के सतीश जैन नाम का अलग लड़का नही था व ा जैन व छीतरमल दोनो एक ही होकर वादी ही है । उक्त भूमि जो कि विरासत से दर्ज हुई है। का नाम सतीश जैन है, जो सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचानपत्र व अन्य सरकारी दस्तावेजात दी का नाम सतीश जैन अंकित है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम बोलता नाम छीतरमल से उक्त राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम विरासत से नामान्तरणकरण खोला गया, तब राजस्व ारियो द्वारा बिना जांच पड़ताल किये वादी का नाम सतीश जैन है, जिसका बोलता नाम छीतरमल दिया गया है। जिससे वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधाओ चित हो रहा है। पीरचन्द जी के सतीश जैन एवं छीतरमल नाम के अलग लड़के नही होकर वादी तीश जैन एवं छीतरमल है। वादी को दिनांक 10 दस दिसम्बर 2025 दो हजार पच्चीस को पटवार के पास जाने पर वादी का नाम सतीश जैन के बजाय छीतरमल दर्ज होने की जानकारी हुई। ग्राम त करेड़ा द्वारा भी प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमे भी वादी ही सतीश जैन एवं छीतरमल होने व

दुरूस्त कराया जाना उचित माना है। इस पर वादी प्रतिवादी संख्या 06 के समक्ष कई बार उपस्थित र राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 06 छह दिनांक 27 सताईश जनवरी 2026 दो हजार छब्बीस को प्रतिवादी संख्या 06 के पास जाने व स्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम ालय मे साराजोही करने की हिदायत दी। राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम सतीश जैन के बजाय रमल दर्ज होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। इस कारण से वादपत्र की चरण या 01 एक मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम छीतरमल पुत्र श्री पीरचन्द के य सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तदनुसार घौषणात्मक ी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व ादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादी का नाम छीतरमल के बजाय सतीश जैन दुरूस्त करने मे मति प्रकट की गयी व वादी द्वारा ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र व स्वयं का शपथपत्र व दस्तावेजात पेश गये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया धिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व लेख मे छीतरमल पुत्र श्री पीरचन्द के बजाय सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द जैन अंकित कराये जाने व ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द जैन है व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणपत्र अनुसार भी छीतरमल पुत्र श्री पीरचन्द जैन व सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द जैन दोनो ही है। अतः वादी का नाम छीतरमल पुत्र श्री पीरचन्द जैन के बजाय सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले प्रभावो के लिए वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र र योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक ियताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 101 मे आराजी नम्बर 1318 1.0749 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.4806 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.5555 हैक्टयर जस्व रेकार्ड मे वादी का नाम छीतरमल पुत्र श्री पीरचन्द के बजाय सतीश जैन पुत्र श्री पीरचन्द जैन त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना ेचित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)